

केवल विभागीय उपयोगार्थ

पत्र संख्या-न्याय-4-पुनरीक्षण/सामान्य विविध 2011-12/ 1112077

/ वाणिज्य कर

कार्यालय कमिशनर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

(वाद अनुभाग)

लखनऊ::दिनांक:नवम्बर:: 25, 2011

समस्त जोनल एडीशनल कमिशनर, वाणिज्य कर,
समस्त ज्वाइन्ट कमिशनर(कार्यपालक) वाणिज्य कर,
समस्त डिप्टी कमिशनर एवं राज्य प्रतिनिधि,
समस्त कर निर्धारण अधिकारी, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विषय:-द्वितीय अपील आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजने से सम्बन्धित अभिलेख के सम्बन्ध में।

उत्तर प्रदेश व्यापार कर राज्य प्रतिनिधि मैनुअल (द्वितीय संशोधित संस्करण 2004) के प्रस्तर-15 से प्रस्तर-22 तक द्वितीय अपील आदेशों के विरुद्ध विभाग द्वारा पुनरीक्षण प्रस्ताव भेजे जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये गये हैं, परन्तु एडीशनल कमिशनर ग्रेड-1(उ०न्या०कार्य) वाणिज्य कर, इलाहाबाद के अ०शा० पत्रांक-2989 दिनांक 16-11-2011 से अवगत कराया गया है कि विभिन्न जोनों से पुनरीक्षण हेतु जो प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं उनमें प्रस्ताव के साथ संलग्न पेपरबुक के साथ अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा पारित विभिन्न आदेशों की टंकित प्रतियाँ संलग्न नहीं की जा रही हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि पूर्व में पुनरीक्षण प्रस्ताव रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय के कार्यालय में दाखिल किये जाते थे, परन्तु मा० न्यायालय द्वारा ऐसे प्रस्ताव जिनके साथ विभिन्न आदेशों की छाया प्रतियाँ संलग्न की गयी हैं, के सम्बन्ध में अत्यन्त अप्रसन्नता व्यक्त की गयी है, जबकि उच्च न्यायालय नियमावली के अनुसार पेपरबुक में टंकित प्रतियाँ होनी चाहिए। मा० न्यायालय ने पुनरीक्षण प्रस्ताव रजिस्ट्रार कार्यालय के बजाय सीधे न्यायालय में दाखिल किये जाने के निर्देश दिये हैं, ऐसी स्थिति में यदि मा० न्यायालय द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन (strictly) नहीं किया जाता है तो मा० न्यायालय द्वारा प्रतिकूल आदेश पारित किया जा सकता है।

अतः उक्त सन्दर्भ में निर्देश दिये जाते हैं कि विभाग द्वारा दायर किये जाने वाले पुनरीक्षण प्रस्तावों के साथ पेपरबुक में संलग्न विभिन्न आदेशों की छाया प्रतियाँ के स्थान पर स्टाउट पेपर पर टंकित आदेशों की प्रमाणित प्रतियाँ संलग्न की जाय। कृपया उक्त निर्देश का कड़ाई से अनुपालन करना/कराना सुनिश्चित करें।

ह०/-

(चन्द्रभानु)

कमिशनर, वाणिज्य कर,

उ०प्र०, लखनऊ।